भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1835

मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु के लिए एफडीआई

1835. श्री जी. सेल्वमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य में एफडीआई को बढ़ावा देने और आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, विशेषकर निवेशक-अनुकूल नीतियों के माध्यम से, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन और नौकरी के अवसरों का निर्माण हुआ है और यदि हां, तो क्षेत्र-वार सुधारों, स्वचालित मार्ग के प्रावधानों और एफडीआई के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किए गए नीतिगत उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु सहित देश में सरकार द्वारा समय-समय पर एफडीआई नीति की समीक्षा करने और उसे अद्यतन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं। राज्य-वार विवरण कुल एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए रखे जाते हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में दर्ज किए गए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वित्त वर्ष	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
(1)	*(2)*	*(3)*
1	2022-23	2,168.96
2	2023-24	2,436.33
3	2024-25	3,681.36

(ख) और (ग): एफडीआई नीति एक सक्षमकारी नीति है, जो देशभर में समान रूप से लागू होती है। सरकार ने एफडीआई के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनाई है, जिसमें अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआई के लिए खुले हैं। एफडीआई नीति किसी विशेष राज्य को विशेष छूट प्रदान नहीं करती है और तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश में समान रूप से लागू है। सरकार ने देश में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं, जो घरेलू निवेश के पूरक और अनुपूरक हैं। घरेलू कंपनियों को एफडीआई के माध्यम से पूरक पूंजी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के साथ-साथ वैश्विक प्रबंधकीय कार्यपद्धियों का अनुभव प्राप्त होने से लाभ होता है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन, अधिक नवप्रयोग और संगत क्षेत्रों का तेज गति से विकास होता है। भारत सरकार विनियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना का विकास करके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (ईओडीबी) को बढ़ाकर कारोबारी माहौल में सुधार करके अधिकाधिक एफडीआई आकर्षित करने का निरंतर प्रयास करती है। देशभर में निर्बाध व्यापार विनियामक ढांचे को और मजबूत करने और एफडीआई सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को प्रेरित करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं।

सरकार, एफडीआई नीतियों की समीक्षा निरंतर आधार पर करती है और समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत एक आकर्षक और निवेशक-अनुकूल गंतव्य बना रहे। विनियामक क्षेत्र में, सरकार ने एफडीआई मानदंडों को उदार बनाने के लिए कई क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। वर्ष 2014 और 2019 के बीच, महत्वपूर्ण सुधारों में रक्षा, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में एफडीआई सीमा में वृद्धि, और निर्माण, नागरिक विमानन और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के लिए उदार नीतियां शामिल थीं। वर्ष 2019 से 2024 तक, उल्लेखनीय उपायों में कोयला

खनन, संविदागत विनिर्माण और बीमा मध्यस्थों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देना शामिल था। वर्ष 2019 से एफडीआई सुधारों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1835 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>वर्ष 2019 के बाद से एफडीआई नीति में सुधार</u>

वर्ष 2019

i. कोयला वाशरी, क्रशिंग आदि जैसी संबद्ध प्रसंस्करण अवसंरचना सहित कोयले की बिक्री और अन्य कोयला खनन कार्यकलापों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इससे पहले, केवल कैप्टिव खपत के लिए कोयला खनन में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी।

ii. विनिर्माण क्षेत्र में, प्रिंसिपल-से-प्रिंसिपल या प्रिंसिपल-से-एजेंट के आधार पर संविदागत विनिर्माण में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है।

iii. सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (एसबीआरटी) - एसबीआरटी द्वारा भारत से की गई समस्त खरीद को कंपनी की स्थानीय सोर्सिंग के रूप में गिना जाएगा, भले ही खरीदे गए सामान भारत में बेचे गए हों या निर्यात किए गए हों।

iv. डिजिटल मीडिया में, समाचार और समसामयिक मामलों की अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी मार्ग के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है। इससे पहले टीवी चैनलों में 49 प्रतिशत और प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

वर्ष 2020

i. बीमा ब्रोकर, सलाहकार, टीपीए, सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता आदि जैसे बीमा मध्यस्थों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। बीमा कंपनियों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग से 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

ii. प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत हवाई परिवहन सेवा में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।

अन्य के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के लिए सीमा स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 49 प्रतिशत और सरकारी माध्यम से 100 प्रतिशत है।

iii. प्रेस नोट-3 - केवल सरकारी माध्यम से निवेश, यदि निवेशक कंपनी किसी भूमि सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित है, या यदि इस तरह के निवेश का लाभार्थी स्वामी वहां रहता है या ऐसे देश का नागरिक है। इसके अलावा, यदि भारत में किसी कंपनी में किसी मौजूदा या भविष्य के एफडीआई का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, ताकि लाभकारी स्वामित्व इस प्रतिबंध के भीतर आता है, तो इस प्रकार के परिवर्तन के लिए भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

iv. नए औद्योगिक लाइसेंस की इच्छुक कंपनियों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग (पहले 49 प्रतिशत) के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति 74 प्रतिशत तक दी गई है। सरकारी मार्ग के तहत 74 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।

वर्ष 2021

i. बीमा कंपनियों में एफडीआई स्वत: अनुमोदन माध्यम के तहत 49 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया और विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण को सुरक्षा उपायों के साथ अनुमति दी गई।

ii. गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश को निवासियों के समान घरेलू निवेश माना जाता है।

iii. पीएनजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है, जहां सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया हो।

iv. स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

वर्ष 2022

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 20 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

वर्ष 2024

अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित उप-क्षेत्रों/कार्यकलापों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार बनाया गया है।

*****